न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या : 52/2014

1. कानाराम धानका पुत्र श्री रामलाल उर्फ रामपाल जाति धानका आयु लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील साँगानेर जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र श्री रामलाल उर्फ रामपाल जाति धानका आयु लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. जगदीश पुत्र श्री रामलाल उर्फ रामपाल जाति धानका आयु लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक : 3/11/2021

प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पूर्वजों की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2981 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 2984 रकबा 2.2700 है0 किस्म वाके ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में प्रार्थी के पिता का नाम एक जगह रामलाल अंकित कर रखा है और दूसरी जगह रामपाल अंकित कर रखा है। जबकि प्रार्थी के पिता को रामलाल उर्फ रामपाल दोनों नामों से पुकारा जाता है, जबकि व्यक्ति एक ही है। प्रार्थी के पिता रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका निवासी ग्राम गोनेर तह0 सांगानेर जिला जयपुर को भी दोनों नामों से पुकारते थे। जबकि व्यक्ति एक ही है। प्रार्थी के पिता रामलाल उर्फ रामपाल का स्वर्गवास दिनांक 14.04.2021 को हो गया। प्रार्थी के पिता का नाम कई जगह रामलाल अंकित कर रखा है एवं कई जगह रामपाल अंकित कर रखा है। इसलिये प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी के पिता की खातेदारी कृषि भूमि का वीरासत का नामान्तकरण का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी के पिता के दोनो नाम रामलाल उर्फ रामपाल होने के कारण प्रार्थी और उसके दोनो भाई अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जगदीश व बाबूलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हो पा रहा है। इसलिये श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 30.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री आशीष शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। साथ अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। दिनांक 11.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे अनापत्ति प्रकट की। दिनांक 28.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 2981/0.07, 2982/0.01, 2984/2.27 किता 03 कुल रकबा 2.29 है0 स्थित ग्राम गोनेर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रामपाल पुत्र श्री नारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका हि0 1/2 सा0 देय व कौशल्या देवी पत्नि हजारी लाल हि0 1/4 ग्राम श्री किशनपुरा व गंगा देवी पत्नि मंगला हि0 1/4 धानका

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:48:04 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम श्री किशनपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 मे प्रार्थी के पिता का नाम रामपाल दर्ज है। प्रार्थी के पिता रामपाल द्वारा उक्त खसरो का दिनांक 27/02/1967 को क्रय की थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 119 दिनांक 15/06/1967 को प्रार्थी के पिता के नाम खोला गया था। **विक्रय पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका सा0देह दर्ज है।** जिसकी छाया प्रति सलग्न है। नामान्तकरण संख्या 119 में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से अशुद्व दर्ज कर रामपाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम दर्ज कर दिया जो आज दिनांक तक रिकॉर्ड मे चला आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पिता रामपाल व रामलाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका एक ही व्यक्ति है। मजमे आम में जांच करने पर प्रार्थी व अन्य व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ग्राम पंचायत गौनेर के लेटर हैड पर दिनांक 07/10/2021 का सरपंच ग्राम पंचायत गोनेर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ लेटर हैड प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान कि निर्वाचन नामावली कि प्रति एवं बिजली का बिल एवं रामपाल पुत्र नाथू धानका का मृत्यु प्रमाण पत्र व फूला देवी पुत्री लादूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं भू0अ0 निरीक्षक गोनेर कि जांच रिपोर्ट दिनांक 30/07/2021 आदि से स्पष्ट होता है कि रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथू धानका निवासी गौनेर एक ही खातेदार या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि रामपाल उर्फ रामलाल पिता श्रीनारायण उर्फ नाथूराम की मृत्यु दिनांक 14/04/2021 को एवं इनकी पत्नी फूलादेवी की मृत्यु दिनांक 04/09/2019 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न है। रामलाल उर्फ रामपाल के वारिसो में 3 पुत्र (कानाराम, बाबूलाल, जगदीश) व 3 पुत्रियां (ज्यानादेवी, कमला, गीता) है। जांच करने पर पाया कि इनके अतिरिक्त अन्य कोई जायन्दा वारिस नही है। रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका निवासी गोनेर एक ही व्यक्ति है। अतः इसके वारिसो के नाम नामान्तकरण खोला जाना न्यायहित में होगा। अतः यह स्पष्ट होता है कि रामलाल उर्फ रामपाल पुत्र श्रीनारायण उर्फ नाथूराम जाति धानका निवासी गोनेर एक ही व्यक्ति है। जिसका नाम शुद्व किया जाना उचित होगा। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2981 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 2982 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 2984 रकबा 2.2700 है0 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं[illegible] के पिता का नाम रामलाल उर्फ रामपाल की खातेदारी कृषि भूमि का [illegible] व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...3/11/2021.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:48:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर